



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2015/माघ 2, 1936

No. 24]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2015/MAGHA 2, 1936

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए)

अधिसूचना

गुडगांव, 21 जनवरी, 2015

सं. जेईआरसी-7/2009.--विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 87 और 88 के साथ पठित धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इसके कारण प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशनों के बाद संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए), एतद्वारा जेईआरसी गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण :

1. इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र का संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 कहा जाएगा ।
2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
3. ये विनियम गोवा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्रों में लागू होंगे ।

2. विनियम 5, 6 और 7 :

- (i) विनियम 7 की संख्या को विनियम 5 लिखा जाए। परिणामस्वरूप विनियम 5 और 6 को क्रमशः विनियम 6 और 7 लिखा जाता है ।
- (ii) पुनः लिखी गई संख्या विनियम 5 में नोटिस शब्द के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाता है :—  
"या अध्यक्ष का पद रिक्त हो।"
- (iii) पुनः लिखी गई संख्या विनियम 7(i) में शब्द 'तीन' के स्थान पर शब्द 'छह' लिखा जाता है ।

3. **विनियम 8 में संशोधन**

- (i) विनियम 8 (2) की संख्या को विनियम 8 (3) लिखा जाता है और विनियम 8 (3) की संख्या को विनियम 8 (2) लिखा जाता है।
- (ii) विनियम 8 (4) में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:—  
समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आने वाले सरकारी कर्मचारियों के अलावा समिति के आउटस्टेशन से आने वाले सदस्यों को भारत सरकार के समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार वायुयान या रेल द्वारा यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

4. **विनियम 10(1) में संशोधन**

विनियम 10(1) में शब्द 'सात सदस्यों' के स्थान पर 'मौजूदा सदस्यों का एक-तिहाई' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है।

5. **विनियम 14 में संशोधन**

व्याख्या के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:—  
या ई-मेल या फ़ैक्स द्वारा।

कीर्ति तिवारी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./218-आई/266/14]

## JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For The State of Goa and Union Territories)

### NOTIFICATION

Gurgaon, the 21st January, 2015

No. JERC-7/2009.—In exercise of powers conferred under Section 181 read with Sections 87 and 88 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories), hereby makes the following amendments to the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (State Advisory Committee) Regulations, 2009.

#### 1. Short title and commencement:

- These Regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (State Advisory Committee) (First Amendment) Regulations, 2015.
- These Regulations shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.
- These Regulations shall be applicable in the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep and Puducherry.

#### 2. Amendment in Regulations 5, 6 and 7:

- Regulation 7 is renumbered as Regulation 5. Consequently Regulations 5 and 6 are renumbered as Regulation 6 and 7 respectively.
- Following is inserted after the word notice, in renumbered Regulation 5:—  
“Or the post of the Chairperson is vacant.”
- The word three is substituted by the word “Six” in renumbered Regulation 7(1).

#### 3. Amendment in Regulation 8

- Regulation 8 (2) is renumbered as Regulation 8 (3) and Regulation 8 (3) is renumbered as Regulation 8 (2).
- Following Regulation 8 (4) is added:—  
Outstation Members of the Committee other than Government servants coming for attending the meetings of the Committee shall be allowed travel by Air or Rail as per Government of India instructions issued from time to time.

#### 4. Amendment in Regulation 10 (1)

The words ‘Seven Members’ is substituted by ‘one third of the existing members’ in Regulation 10 (1).

#### 5. Amendment in Regulation 14

Following is added at the end of Explanation:  
Or by e-mail or by fax.

KEERTI TEWARI, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./218-I/266/14]